

न्यायालय तालुकीलवार कलूमर (अलवर) राज्.

सरकार जारिचे रिपोर्ट पटवारी हल्का डिकका वनाम कुन्दन अशय, सुनील पिठ नट्ठी
प्रकरण अन्तगत प्राप्त 31 एलवाय फुट

निर्णय दिनांक :- 29/3/19

प्रकरण संख्या :- RA/74

शेडली नट्ठी रैला

प्रस्तावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि राम
की ल.अ.नं. 151 फुल रकबा 0-19 किया जावन 1050 में से 0-0।
रकबा धर की कुन्दन अशय, सुनील पिठ अमाशिकुम संघ से अतिक्रमण कर
व्यु.अ.नं. 27/8/18 का करके विरुद्ध यामुनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय लाईव
शु.अ.निरी. द्वारा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया
जाकर अतिक्रम कुन्दन अशय, सुनील पिठ जाट निवासी शेडली नट्ठी को भू-
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 31 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील
करवाई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शानित प्रस्तावली किया गया। अतिक्रमी
उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शानित प्रस्तावली है।
उक्त रकबा आ.ख.नं. नदी नदी कावा में से

रकबा किरान मुंशमशान को निरामन न प्राप्त है किहाजा औरसतयम का अतिक्रमण
रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाने में पर उक्त स्वरूप जमान 6/10/8 का
50 गुणा 31 रकबा पैनहटी आरोपित की जाती है मांचा कायमी हेतु डीआरए को लिखा
जाते, पैनहटी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी Three शु.अ.निरी.
को लिखा जाकर बाद तकगील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

कलूमर (अलवर) राज्.

अतिरिक्त :- प. 8